(4)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती सुमन सोनल (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः— 274/2022

बोदुराम

बनाम

दिनेश आदि

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अ0 आदेश 1 नियम 10 व 151 सीपीसी

निर्णय दिनांक 08/04/2025

प्रार्थी बोदुराम ने हाजा न्यायालय में दिनांक 18.07.2022 को एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। जिसमें प्रार्थी बोदुराम ने ग्राम मावता पटवार हल्का जहाज के खाता सं. नये 167 की भूमि ख.नं. 416 रकबा 0.44 हैक्टर, ख.नं. 418 रकबा 0.52 हैक्टर, ख.नं. 419 रकबा 1.07 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 2.03 हैक्टर व खाता सं. नये 309 की भूमि ख.नं. 406 रकबा 1.17 हैक्टर के संबंध में अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने बाबत् निवेदन करने पर न्यायालय हाजा द्वारा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् पाबन्द किये जाने के आदेश जारी किये गये। उक्त प्रार्थना—पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा वर्तमान में तलवी में जेरकार है।

प्रार्थीगण सीताराम ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ0 आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 का इस आशय का प्रस्तुत किया है कि न्यायालय हाजा के उनवानी प्रकरण सीताराम बनाम कजोड़ अं.धा. 251(क) अं.धा. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.नं. 24/2022 का भूमि ख.नं. 444, 445 में रास्ता चाहने बाबत् पेश किया था प्रार्थी के उक्त प्रार्थना—पत्र को दिनांक 23.08.2024 को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर भूमि ख.नं. 406, 419, 418 में रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश जारी किये गये। प्रार्थी द्वारा निर्णय दिनांक 23.08.2024 की पालना हेतु तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन किया तो प्रार्थी को पता चला की भूमि ख.नं. 406, 419, 418 पर माननीय न्यायालय का उपरोक्त प्रकरण में मौका व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश दिनांक 24.08.2022 जारी किये हुए है। उक्त स्थगन आदेश के कारण निर्णय दिनांक 23.08.2024 की पालना नहीं हो पा रही है अगर उक्त आदेश की वजह से निर्णय दिनांक 23.08.2024 उनवारी प्रकरण सीताराम बनाम कजोड़ मु. नु. 24/2022 की पालना नहीं हो पाती है तो प्रार्थी को काफी परेशानी होगी, इस कारण प्रार्थी का उक्त प्रकरण में हित निहित है तथा उक्त प्रकरण में प्रार्थी को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी अपना पक्ष रखना चाहता है तथा उक्त प्रकरण में बगौर आवेदक पक्षकार बनना चाहता है। इसलिये उक्त प्रकरण में प्रार्थी को बतौर अनावेदक पक्षकार बनाया जाना प्रार्थनीय है। अतः उक्त आधार पर प्रार्थना—पत्र स्वीकार कर बतौर अनावेदक पक्षकार बनाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र की नकल वकील अप्रार्थी/प्रार्थी(मूल प्रार्थना पत्र में) को दिलाई गई। वकील अप्रार्थी ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया है कि उक्त मु.न. 24/2022 प्रार्थी द्वारा पेश करना व उक्त प्रार्थना—पत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार करना स्वीकार है। लेकिन उक्त मुकदमें की आवेदक ने राजस्व अपील अधिकारी, झुंझुनूं में अपील पेश कर रखी है जो की अभी तक लंबित है। उक्त प्रकरण में स्थगन आदेश के कारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2024 की पालना नहीं होने के तथ्य प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र में गलत दर्ज किय है। आवेदक बोदुराम ने निर्णय दिनांक 23.08.2024 की राजस्व अपील अधिकारी, झुंझुनूं के समक्ष अपील पेश कर रखी है। तथा उक्त न्यायालय ने स्थगन आदेश पेश कर रखी है तथा उक्त न्यायालय ने स्थगन आदेश भी पारित कर रखा है। इस कारण मु.नं. 24/2022 में पारित निर्णय की कियान्विति रूकी हुई है। उक्त प्रकरण में विवादित भूमि से प्रार्थी सीताराम का कोई लेना देना नहीं है तथा न ही किसी प्रकार का कोई हित निहित है। इस कारण उक्त प्रकरण में प्रार्थी सीताराम को पक्षकार

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

जाना कतई न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी सीताराम का उक्त प्रार्थना–पत्र बाबत् पक्षकार संयोजित किये जाने मय हर्जे खर्चे खारिज करने के आदेश जारी किये जावे।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 ओदश 1 नियम 10 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 पर श्रवण की गई। बहस के दौरान कि न्यायालय हाजा के उनवानी प्रकरण सीताराम बनाम कजोड़ अं.धा. 251(क) अं.धा. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.नं. 24/2022 का भूमि ख.नं. 444, 445 में रास्ता चाहने बाबत् पेश किया था प्रार्थी के उक्त प्रार्थना–पत्र को दिनांक 23.08.2024 को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर भूमि ख.नं. 406, 419, 418 में रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश जारी किये गये। प्रार्थी द्वारा निर्णय दिनांक 23.08.2024 की पालना हेतु तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन किया तो प्रार्थी को पता चला की भूमि ख.नं. 406, 419, 418 पर माननीय न्यायालय का उपरोक्त प्रकरण में मौका व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश दिनांक 24.08.2022 जारी किये हुए है। उक्त स्थगन आदेश के कारण निर्णय दिनांक 23.08.2024 की पालना नहीं हो पा रही है अगर उक्त आदेश की वजह से निर्णय दिनांक 23.08.2024 उनवारी प्रकरण सीताराम बनाम कजोड़ मु. नु. 24/2022 की पालना नहीं हो पाती है तो प्रार्थी को काफी परेशानी होगी, इस कारण प्रार्थी का उक्त प्रकरण में हित निहित है तथा उक्त प्रकरण में प्रार्थी को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी अपना पक्ष रखना चाहता है तथा उक्त प्रकरण में बगौर आवेदक पक्षकार बनना चाहता है। इसलिये उक्त प्रकरण में प्रार्थी को बतौर अनावेदक पक्षकार बनाया जाना प्रार्थनीय है।

बहस के दौरान वकील प्रार्थी (मूल प्रार्थना पत्र में) ने कथन किया कि उक्त मु.न. 24/2022 प्रार्थी द्वारा पेश करना व उक्त प्रार्थना–पत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार करना स्वीकार है। लेकिन उक्त मुकदमें की आवेदक ने राजस्व अपील अधिकारी, झुंझुनूं में अपील पेश कर रखी है जो की अभी तक लंबित है। उक्त प्रकरण में स्थगन आदेश के कारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2024 की पालना नहीं होने के तथ्य प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में गलत दर्ज किय है। आवेदक बोदुराम ने निर्णय दिनांक 23.08.2024 की राजस्व अपील अधिकारी, झुंझुनूं के समक्ष अपील पेश कर रखी है। तथा उक्त न्यायालय ने स्थगन आदेश पेश कर रखी है तथा उक्त न्यायालय ने स्थगन आदेश भी पारित कर रखा है। इस कारण मु.नं. 24/2022 में पारित निर्णय की कियान्विति रूकी हुई है। उक्त प्रकरण में विवादित भूमि से प्रार्थी सीताराम का कोई लेना देना नहीं है इस कारण उक्त प्रकरण में प्रार्थी सीताराम को पक्षकार बनाया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थी सीताराम का उक्त प्रार्थना–पत्र बाबत् पक्षकार संयोजित किये जाने मय हर्जे खर्चे खारिज करने के आदेश जारी किये जावे।

पत्रावली, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जवाब प्रार्थना–पत्र एवं दस्तावेजात, का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी का उक्त प्रकरण में हित निहित है। उक्त मूल प्रार्थना–पत्र में वर्णित ख.नं. 406, 419, 418 में से प्रार्थी के ख.नम्बरान 444, 445 में आवागमन हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में जारी किये गये हैं। इस कारण प्रार्थी सीताराम को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुसार भी आवश्यक पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी सीताराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

–::आदेश::–

प्रार्थी सीताराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण सीताराम को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार सयोंजित किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 08/04/2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक

5/2/25 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय बौरे.....................पर हैं। अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 27/3/25 को पेश हो।

27/2/25 पत्रावली पेश हुई अभिभाषकगण ने न्यायालय कार्य का बहिष्कार/स्थगन पर रखा। अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 26/3/25 को पेश हो।

26/3/25 पत्रावली पेश हुई। बमुलाहिजा उप.। बहस प्रा.पत्र 01R10 व 151 CPC सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश 01R10 व 151 CPC व इंतजार तामील। लगा 6 आईंदा दिनांक 8/4/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

8/4/25 पत्रावली पेश हुई। बमुलाहिजा उप.। बहस प्रा.पत्र 01R10 व 151 CPC पर श्रवण किया गया। प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रा.पत्र 01R10 व 151 CPC न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विरुद्ध अधिपत्र प्रारूप से अंकित होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली वास्ते पेश करने संशोधित शोथ, इंतजार तामील अप.सं. । लगा 6 आईंदा दिनांक 12/05/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

12/5/25 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय बौरे.....................पर हैं। अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 12/6/25 को पेश हो।